2022/74

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
80/22	251A/212 RTA	खोपर	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
बाबूलाल	बनाम	चन्द्रकला

वकील :- J.C. Nagar Adv. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
6/7/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए/212 आर0टी0 एक्ट विरूद्व प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथन में बताया कि प्रार्थी का पूरा परिवार खेती पर आश्रित है। प्रार्थी के पास भूमि ख0न0 394 की सबसे बडी जोत है जिससे पूरे परिवार का लालन–पालन होता है तथा प्रार्थी भूमि ख0न0 393 में स्थित रास्ते में होकर ही अपने पूर्वजों के समय से उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है तथा भूमि ख0न0 393 की उत्तरी मेड पर होकर गांव में आने–जाने का रास्ता स्थित है। इसके बाद प्रार्थी भूमि ख0न0 393 के मध्य पूर्व में स्थित रास्ते से आता जाता रहता है। जिसे अप्रार्थी कम 1 व 2 ने बन्द कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि ख0न0 394 में पूर्व में स्थित रास्ते को बन्द करने के कारण प्रार्थी का अपनी भूमि में आने जाने एवं खेती करने का रास्ता स्थायीरूप से बन्द हो गया है प्रार्थी की भूमि ख0न0 394 में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि पडत रहने की पूरी पूरी संभावना है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। ग्राम खोपर तहसील छबडा में स्थित भूमि ख0न0 393 से 394 को निकलने वाले रास्ते के मौके की जवाब पेश होने तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगणों को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.08.2022 को पेशा हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छबड़ा ज़िला बाराँ (राज.)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
14.5.25	पत्रावली पेश हुई। नकुलवाद फरीकैन उप० बहस हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.5.25 को पेश हो।
21.5.25	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 30.5.25 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा,
30.5.25	पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा फरीकैन उक्त प्रकरण में सम्बन्धित 251A RTA को निर्णीत है उक्त भी इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।